

F.No. A-12023/1/2005-VSP(A)
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
Vidhi Sahitya Prakashan

I.L.I. Building, Bhagwan Dass Marg,
New Delhi, dated the 1 November, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Filling up of one post of Proof Reader in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice on deputation/absorption basis.

.....

The undersigned is directed to state that Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice proposes to fill up one Group 'C' post of Proof Reader carrying Level-4 (Rs. 25500-81100) in Pay Matrix of 7th CPC on deputation/absorption basis on usual terms and conditions. The requisite qualifications are as under:-

Officers of the Central Government or State Governments:-

- (a)
 - (i) holding analogous post on regular basis, or
 - (ii) with eight years' regular service in the post in Level-2 of the pay matrix.
- (b) possessing the following qualifications, namely:-
 - (i) knowledge of Computer operation.
 - (iii) typing speed of 25 words per minute in Hindi on computer, and
 - (iv) knowledge of Hindi Proof reading and copy holding.

2. The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.


3. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

4. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

5. The deputation will be governed by the terms and conditions as contained in the DOP&T O.M. No. 2/29/91-Estt.(Pay-II) dated the 5th January, 1994 and OM No. 6/8/2009-Estt(Pay-II) dated 17th June, 2010 as amended from time to time.

6. It is requested that the particulars of the eligible persons, who fulfill the required qualification and can be considered for appointment to the post of Proof Reader and whose services could be spared immediately may be forwarded to this Prakashan in the proforma enclosed along with their vigilance clearance and up-to-date A.C.Rs for the last five years, so as to reach the undersigned within 60 days from the date of publication of the vacancy notice in the 'Employment News'.

7. Those who apply for the post will not be allowed to withdraw their names once the selection is made to the post.


21/11/2022
(Sunil Kumar Jain)

Deputy Secretary to the Government of India

SUNIL KUMAR JAIN
Deputy Secretary (V.S.P.)
Legislative Department
Ministry of Law & Justice
New Delhi

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
(through website of this department)
2. The Deputy Director, 7th Floor, Directorate of Advertising and Visual Publicity, M/o Information of Broadcasting, Soochna Bhawan, CGO Complex, New Delhi for publication in Employment News.
3. NIC Cell of this Department with the request to upload this circular on the website of this Department.


21/11/22
(Kailash Chand Joshi)
Section Officer

PROFORMA

1. Name :
2. Date of Birth :
3. Educational Qualification :
4. Present pay :
5. Present post held and scale of the pay of the post :
6. Substantive appointment, if any, held with scale of pay :
7. Speed in Hindi Typing :
8. Brief particulars of service with nature of duties performed and experience :
9. Postal Address where the communication is to be sent :
10. Tel. No./Mobile No./Email I.D. :
11. Whether SC/ST :
12. Remarks :

Signature of the applicant

DEPARTMENTAL ENDORSEMENT

Certified that the information given by Shri/Smt./Ms.is correct and his/her services, will be spared in the event of his/her selection for appointment by deputation/absorption to the post of Proof Reader in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice. He/she is clear from vigilance angle and no major/minor penalty has been imposed on him/her during the preceding 10 years. It is also certified that there is no doubt about the integrity of official and cadre clearance in respect of him/her has been already obtained.

Signature.....
Name.....
Designation.....
Department.....

Date:

फाइल सं. ए - 12023/1/2005-वि.सा.प्र.(प्रशा.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान भवन
भगवान दास मार्ग,
नई दिल्ली, तारीख 11 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय - विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर प्रूफ रीडर के एक पद भरे जाने हेतु।

अधाहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में 4 स्तर के वेतनमान 25500-81100 में प्रूफ रीडर के एक समूह में पद विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय प्रायिक निबंधनों और शर्तों पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर भरे जाने प्रस्तावित है। अपेक्षित अर्हताएं निम्नलिखित हैं -

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने 25500-81100 के वेतनमान वाले पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है
- (ख) (i) कम्प्यूटर की जानकारी
(ii) जिनकी हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति है और
(iii) जिन्हें हिन्दी प्रूफ रिडिंग और कापी होल्डिंग का ज्ञान है।

2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।


3. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. आमेलन पर नियुक्ति हेतु आवेदन की अंतिम तारीख के अधिकतर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. प्रतिनियुक्ति, समय-समय पर यथा संशोधित कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91 स्था. (वेतन II) तारीख 5 जनवरी, 1994 और ज्ञापन सं. No. 6/8/2009 Estt (Pay-II) dated 17 जून, 2010 में यथा अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगी।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे पात्र व्यक्तियों की, जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हैं और जिनके लिए प्रूफ रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता हो और जिन्हें तुरंत सेवामुक्त किया जा सकता हो, विशिष्टियां इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में इस प्रकाशन को उनके पिछले पांच वर्ष की सतर्कता निर्वाधन और अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ इस प्रकार भेजे कि वे रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से दो माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाएं।

7. उन अभ्यर्थियों को, जो उक्त पद के लिए आवेदन करते हैं आवेदन करने के पश्चात उन्हें नाम वापस लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।


(सुनील कुमार जैन)

उप-सचिव, भारत सरकार

SUNIL KUMAR JAIN


Deputy Secretary (V.S.P.)

Legislative Department

Ministry of Law & Justice

प्रति -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (इस विभाग कि वेबसाइट)
2. उप निदेशक (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय), 7 तल, सूचना भवन, cgo॥
काम्पलेक्स, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापन को व्यापक प्रचार देने के लिए रोजगार समाचार के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाये.
3. इस विभाग के NIC सेल को इस निवेदन के साथ कि इस प्रपत्र को इस विभाग कि वेबसाइट पर अपलोड करें.


(कैलाश चन्द जोशी)
अनुभाग अधिकारी

प्रोफार्मा

1. नाम :
2. जन्म की तारीख :
3. शैक्षिक अर्हता :
4. वर्तमान वेतन :
5. वर्तमान धारित पद और
उस पद का वेतनमान :
6. अधिष्ठायी नियुक्ति, यदि
कोई हो, धारित
वेतनमान सहित, :
7. हिन्दी टंकण में गति :
8. निष्पादित कर्तव्यों
की प्रकृति
सहित सेवा की
संक्षिप्त विशिष्टियाँ और
अनुभव :
9. डाक का पता जहाँ
पत्र व्यवहार किया जा
सके :
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति, यदि कोई हों :
11. टिप्पणियाँ :

आवेदक का हस्ताक्षर

विभागीय पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.----- द्वारा दी गई जानकारी सही है और उसके विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रूफ रीडर के पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उसका चयन होने की दशा में सेवामुक्त कर दिया जाएगा। वह सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है और पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसकी पदीय ईमानदारी के बारे में कोई संदेह नहीं है और इस दृष्टि से उसका कांडर निर्बाधन पहले से ही अभिप्राप्त कर लिया गया है।

तारीख:

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

विभाग-----